...ालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2023 उनवान चेनाराम बनाम मदन ::

1. श्री चेनाराम पुत्र गणेश जाति जाट आयु बालिग
2. गोपाल पुत्र छोटू जाति जाति जाट आयु बालिग
3. छगनलाल पुत्र श्योजी जाति जाट, आयु बालिग
4. जीतराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, आयु बालिग
5. बद्री पुत्र छोटू जाति जाट अयु लगभग बालिग
6. लक्ष्मण पुत्र श्योजी जाति जाट, आयु बालिग
7. विश्राम पुत्र छोटू जाति जाट आयु बालिग
8. शंकर पुत्र रामनारायण जाति जाट आयु बालिग
9. हरिराम पुत्र श्योजी जाति जाट आयु बालिग

सर्व निवासीगण ग्राम सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मदन पुत्र राधाकिशन जाति जाट
2. मांगू पुत्र रामकरण जाति जाट
3. छोटू पुत्र रामलाल जाति जाट
4. रामनारायण पुत्र रामलाल जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

5. अमराव पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
6. गोपीराम पुत्र रामकिशन जाति जाट
7. नोसर पत्नी दयाल जाति जाट
8. प्रधान पुत्र दयाल जाति जाट
9. सत्यनारायण पुत्र रामकिशन जाति जाट
10. सुरज्ञान पुत्र रामकिशन जाति जाट
11. हंसा पुत्र दयाल जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

[illegible]ा पुत्र रिद्धकरण

[illegible]धन्नी पुत्री रिद्धकरण

14. नन्दा पुत्र रिद्धकरण

15. प्रेम पुत्री रिद्धकरण

16. भूरा पुत्र रिद्धकरण

17. रामधन पुत्र रिद्धकरण

18. लाडा पुत्री रिद्धकरण सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

19. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय अरांई जिला अजमेर राज।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 13/10/2023

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 17.04.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 13/2023 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 124 रकबा 03.2360 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 125 रकबा 0.0405 हैक्टेयर स्थित है जिसपर प्रार्थीगण वर्तमान में नक्शेनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 124 व 125 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 30.06.2021 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रा[illegible] पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि [illegible] कृषि भूमि [illegible] करते हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 18 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की [illegible] उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

...लिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 124 रकबा 03.2360 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 125 रकबा 0.0405 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

2. दिनांक 27.07.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 19 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 से 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू. राज.अधि. 1956 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 124 रकबा 03.2360 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 125 रकबा 0.0405 हैक्टेयर स्थित है जिसपर प्रार्थीगण वर्तमान में नक्शेनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 124 व 125 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का व गिरदावर हल्का 30.06.2021 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार किया गया था जिससे प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार संतुष्ट नहीं हुये। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 18 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना आवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 124 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:04 IST
Reason: Self Attested

अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

2360 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 125 रकबा 0.0405 हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 124 रकबा 03.2360 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 125 रकबा 0.0405 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/–रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:31:04 IST
Reason: SelfAttested